रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 535] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1980/अग्रहायण 6, 1902
No. 535] NEW DELHI THURSDAY, NOVEMBER 27, 1980/Agrahayana 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1980

का. आ. 935(अ).—केन्द्रीय सरकार, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि द्वारका, पोरबन्दर, मुम्बई, रत्नगिरि, मंगलोर, वास्कोदागामा, कोचीन, रामनाथपुरम, मद्रास, विशाखापत्तनम, उलुबेरिया, तामलुक और पोर्ट ब्लेयर उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए स्थान होंगे ।

[फा. सं. एल/111/19/1980]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव (एल एण्ड टी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1980

S.O. 925(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby directs that Dwarka, Porbandar, Bombay, Ratnagiri, Mangalore, Vasco-da-gama, Cochin, Ramanathapuram, Madras, Vishakhapatnam, Jagatsinghpur, Tamluk and Port Blair shall be the places for the purposes of the said section.

[F. No. L/111/19/1980]

S. P. JAGOTA, Additional Secretary (L&T)

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980